आपत्ति एवं शिकायत पत्र

प्रति,

- **माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, कैबिनेट मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश शासन।**
- **माननीय लोकायुक्त महोदय,**

म.प्र. लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल / इंदौर।

- **माननीय आयुक्त महोदय,**

नगर पालिक निगम, इंदौर (म.प्र.)।

प्रति,

- **माननीय महापौर महोदय,**

नगर पालिक निगम, इंदौर।

- **माननीय एम.आई.सी. (MIC) सदस्य महोदय** (प्रभारी - DAY-NULM / समाज कल्याण विभाग), नगर पालिक निगम, इंदौर।

नगर पालिक निगम, इंदौर
आयुक्त कार्यालय
आवक क्रमांक ..... 3181 .....
दिनांक ..... 25-6-26 .....

विषय: नगर पालिक निगम, इंदौर द्वारा संचालित "दीनदयाल रसोई योजना" (DDRY) के टेंडर (वर्ष 2023 से 2025-26) में की गई भारी अनियमितताओं, चहेती संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुँचाने हेतु नियमों में किए गए तकनीकी हेरफेर और व्यापक भ्रष्टाचार की सूक्ष्म जांच कर कार्यवाही करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत अत्यंत खेद के साथ लेख है कि नगर पालिक निगम, इंदौर द्वारा शहर के निर्धन और जरूरतमंद नागरिकों के लिए संचालित 'दीनदयाल रसोई योजना' (DDRY) को कुछ अधिकारियों और चुनिंदा पुरानी संस्थाओं द्वारा भ्रष्टाचार का साधन बना लिया गया है। विगत कुछ वर्षों में जारी निविदाओं (Tenders) की शर्तों में सुनियोजित तरीके से ऐसे बदलाव किए गए हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को खत्म कर अपनी चहेती संस्थाओं को ठेका दिलाना है।

इस संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया में हो रही धांधली, साठगांठ और तकनीकी मूल्यांकन में किए गए पक्षपात का विस्तृत, तार्किक और विधिक विवरण निम्नानुसार है, जिस पर तत्काल संज्ञान लिया जाना आवश्यक है:

1. टेंडर जारी करने और निरस्त करने का संदेहास्पद घटनाक्रम

- **अक्टूबर 2023:** दीनदयाल रसोई योजना (तृतीय चरण - गाड़गे अड्डा रसोई केंद्र) हेतु प्रथम ई-निविदा (NIT No. 103) दिनांक 05/10/2023 को जारी की गई ।
- **सितंबर 2024:** इसके पश्चात पुनः द्वितीय आमंत्रण के रूप में निविदा निकाली गई।
- **मार्च 2026:** हाल ही में 12 मार्च 2026 को (Tender ID: 2026_UAD_489722_1) नए सिरे से टेंडर जारी किया गया है ।
- **आपत्ति का विधिक आधार:** वर्ष 2023 और 2024 में निविदाएं आमंत्रित करने के बावजूद उनका आवंटन नहीं किया गया और उन्हें अकारण निरस्त कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन टेंडरों

महापौर कार्यालय
नगर पालिक निगम, इन्दौर
आवक क्र. 287
दिनांक 25/06/26

Scanned with OKEN Scanner

की शर्तें अधिकारियों की चहेती पुरानी संस्थाओं के अनुकूल नहीं थीं। टेंडर निरस्त करके पुरानी संस्थाओं से ही लगातार काम करवाया जाता रहा, जो कि निविदा नियमों का खुला उल्लंघन है।

2. तकनीकी मूल्यांकन (Technical Evaluation) में सुनियोजित हेरफेर

तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया (Technical Evaluation) को इस प्रकार तैयार किया गया है कि इसका सीधा लाभ पहले से काम कर रही चुनिंदा संस्थाओं को मिले। टेंडर के 'Annexure-D' (मूल्यांकन हेतु विवरण) में दिए गए अंकों का पक्षपातपूर्ण विभाजन निम्नलिखित है:वर्ष 2025-26 के नए टेंडर में तकनीकी मूल्यांकन के 100 अंकों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि कोई भी नई संस्था या महिला स्व-सहायता समूह (SHG) प्रतिस्पर्धा में टिक ही न सके । इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

- **अनुभव के अंकों में सीधा पक्षपात (20 अंक):** निविदा शर्तों में समान कार्य के अनुभव के लिए 20 अंक रखे गए हैं, जिसमें से 10 अंक विशेष रूप से 'दीनदयाल रसोई योजना का कार्य अनुभव' होने पर दिए जाने का प्रावधान है । यह स्पष्ट रूप से उन संस्थाओं को सीधा लाभ पहुँचाने की साजिश है जो पहले से इस योजना में काम कर रही हैं।
- **जिले में 5 वर्षों के कार्य अनुभव की बाध्यता (20 अंक):** 'जिले में संचालित अन्य गतिविधियां' श्रेणी में 20 अंक रखे गए हैं, जो केवल उन संस्थाओं को मिलेंगे जिन्हें जिले में विगत 05 वर्षों से कार्य का अनुभव है । यह नियम नई और योग्य संस्थाओं को टेंडर प्रक्रिया से बाहर करने के लिए बनाया गया है। शिकायत में स्पष्ट किया गया है कि यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि जो संस्थाएं पहले से ही काम कर रही हैं, केवल वे ही ये 20 नंबर प्राप्त कर सकें।
- **महिला स्व-सहायता समूहों (SHG) को बाहर करने का षड्यंत्र (20 अंक):** माननीय महापौर और शासन का संकल्प महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का है। इंदौर में लगभग 5000 स्व-सहायता समूह (SHG) पंजीकृत हैं। परंतु, टेंडर में 20 अंक 'संस्था के टर्नओवर' के लिए रखे गए हैं, जिसमें न्यूनतम 25 लाख रुपये प्रति वर्ष का टर्नओवर और विगत 5 वर्षों की सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट अनिवार्य की गई है । कोई भी गरीब महिला समूह 25 लाख का टर्नओवर या 5 साल का आईटीआर प्रस्तुत नहीं कर सकता, जिससे वे स्वतः ही अपात्र हो गए। इंदौर में लगभग 5000 स्व-सहायता समूह (SHG) हैं, लेकिन किसी भी गरीब महिला समूह का टर्नओवर 25 लाख रुपये नहीं होता। इस भारी-भरकम वित्तीय शर्त और अंकों के कारण महिलाओं के स्व-सहायता समूह टेंडर प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर हो गए हैं।
- **जिला समिति द्वारा मनमाने अंक (10 अंक):** स्वच्छता एवं योजना संचालन के नाम पर 10 अंक पूरी तरह से जिला समिति के मूल्यांकन (कार्य अनुभव, व्यवहार आदि) पर छोड़ दिए गए हैं । यह अत्यंत

Scanned with OKEN Scanner

व्यक्तिपरक (Subjective) मानदंड है, जिसका उपयोग अधिकारी अपनी पसंद की संस्था को पूरे नंबर देकर टेंडर जिताने में कर रहे हैं। दस्तावेजों में आपत्ति जताई गई है कि यह नियम पुरानी और चहेती संस्थाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह समिति को अधिकार देता है कि वह अपनी पसंद की संस्थाओं को इन 10 अंकों में से पूरे नंबर दे दे, ताकि वे टेंडर जीत सकें।

- **लॉटरी प्रक्रिया का औचित्यहीन व संदेहास्पद नियम:** टेंडर की शर्तों में उल्लेख है कि समान अंक प्राप्त होने पर चयन 'लॉटरी प्रक्रिया' से होगा । जब निविदा का निर्णय पूर्णतः तकनीकी अंकों (100 मार्क्स) के आधार पर होना है, तो लॉटरी का प्रावधान अनावश्यक है। यह केवल इसलिए रखा गया है ताकि यदि अधिकारी की पसंदीदा संस्था अंकों में पिछड़ जाए, तो लॉटरी का बहाना बनाकर उसे ठेका दिया जा सके। टेंडर के नोट में यह शर्त जोड़ी गई है कि "एक से अधिक संस्थाओं/स्वसहायता समूहों को बराबर अंक प्राप्त होने पर संस्था का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जावेगा"।
- शिकायतकर्ता ने इस पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब पूरा चयन नंबरों (अंकों) के आधार पर हो रहा है, तो फिर लॉटरी प्रक्रिया क्यों रखी गई है? यह दरअसल इसलिए है ताकि यदि अधिकारियों की पसंद की संस्था अंकों के मामले में पीछे रह जाए या बराबर पर आ जाए, तो 'लॉटरी' का बहाना बनाकर उसे टेंडर दिया जा सके।

3. जांच हेतु आवश्यक विधिक प्रश्न एवं वित्तीय अनियमितताएं

इस योजना में न केवल टेंडर प्रक्रिया में, बल्कि संचालन में भी भारी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। सत्यता उजागर करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की सूक्ष्म जांच (Micro-level probe) अत्यंत आवश्यक है:

- **अनुबंध एवं कार्य आदेश:** वर्ष 2020 से 2025 तक कार्यरत अनुबंधित संस्थाओं की वर्षवार जानकारी एवं उन्हें जारी कार्य आदेश (Work Orders) की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाएं ।
- **गैस एवं राशन स्टॉक की जांच:** रसोई केंद्रों में प्रतिदिन एवं प्रतिमाह प्रयुक्त गैस टंकियों के भुगतान बिलों तथा शासन से प्राप्त होने वाले अनाज (राशन) के स्टॉक रजिस्टर की सघन जांच हो ।
- **फर्जी लाभार्थियों की जांच (Ghost Beneficiaries):** प्रतिदिन भोजन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाकर दिखाई जाती है। अतः लाभार्थियों की सूची का उनके मोबाइल नंबरों के माध्यम से भौतिक सत्यापन (Physical Verification) कराया जाए ।
- **निरीक्षण पंजिका:** अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रसोई केंद्रों पर किए गए दौरों के विजिट रजिस्टर (Visit Register) को ज़ब्त कर उसकी प्रामाणिकता जांची जाए ।

Scanned with OKEN Scanner

- संस्थाओं के अनुबंध संस्था को भुगतान की गई राशियों की नोटशीट एवं बिलों की प्रमाणित प्रति
- योजना में शासन से प्राप्त अनाज की प्रतिमाह और प्रतिवर्ष की जानकारी तथा केंद्र संचालक को दी गई अनाज की जानकारी की प्रमाणित प्रति

प्रार्थना:

अत: आपसे करबद्ध निवेदन है कि:

1. वर्तमान में जारी दीनदयाल रसोई योजना के टेंडर (Tender ID: 2026_UAD_489722_1) की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।
2. वर्ष 2023 से लेकर 2026 तक की गई संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया, निरस्तीकरण के कारणों और तकनीकी मूल्यांकन के लिए बनाए गए मनमाने नियमों की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की जाए।
3. नियमों में हेरफेर कर अपनी चहेती संस्थाओं को वित्तीय लाभ पहुँचाने वाले निगम के दोषी अधिकारियों एवं संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' एवं अन्य सुसंगत विधिक धाराओं के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाए।

हम इस मामले में आपके त्वरित और न्यायपूर्ण हस्तक्षेप की अपेक्षा करते हैं, ताकि शासन की इस कल्याणकारी योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को मिल सके और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके।

सधन्यवाद,

हस्ताक्षर: अरविन्द तिवारी

शिकायतकर्ता का नाम:

पता: इन्दौर

दिनांक: 23 जून 2026

संलग्नक: टेंडर नियम 2023-26 की प्रतियां, मूल्यांकन अंक तालिका (Annexure D/E), एवं अन्य प्रासंगिक साक्ष्य।

मो - 9691485959.

Scanned with OKEN Scanner